(viii) (a) Annual Report of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 1996-97, under section 19 of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research Act, 1966.

(a) Annual Accounts of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 1996-97 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 18 of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research Act, 1966.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-571/98]

**I. Report and Accounts (1996-97) of the National School of Drama, New Delhi and related papers.**

**II. Report and Accounts (1995-96) of the National Council of Rural Institutes, Hyderabad and related papers.**

**III. Report and Accounts (1994-95) of the Lalit Kala Akadcmi, New Delhi and related papers.**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती)**: सभापति महोदय , मै आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर खाती हूंः–

I. (क) 1996-97 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय नाटय विद्यालय, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे,

लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त विद्यालय के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालयों में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी.-778/98]

II. (क) 1995-96 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरिक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालयों में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी.-778/98]

III (क) 1994-95 के वर्ष के लिए ललित कला अकादमी, नई दिल्ली का वार्षिक प्रदिवेदन, और लेखें, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त अकादमी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग़) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालयों में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-780/98]

**I. Report and Accounts (1991-92) of the West Bengal Forest Development Corporation Limited, Calcutta and related papers.**

**II. Report and Accounts (1996-97) of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore and related papers.**

**III. Report and Accounts (1996-97) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal and related papers.**

**IV. Accounts (1996-97) of the Central Pollution Control Board, Delhi and related papers.**

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी)**: सभापति महोदय मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखि पत्र सभा पटल पर खाता हूंः—

I. (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1991-92 के वर्ष के लिए वेस्ट बंगाल फोरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्त का अठारवां वार्षिक प्रतिवेदहन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरिक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा की टिप्पणियों सहित।

(ii) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) मेम उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखेन मेम हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[पुस्तकालय में रखी गई (1) और (2) के लिए देखिए संख्या एल. टी.-781/98]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(क) 1996-97 के वर्ष के लिए इंडियन प्लाईवुड इंदस्ट्रीज, रिसर्च एण्ड ट्रेनिग इंस्टीट्यूट, और लेखे, लेखाओ पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इंस्टीड्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

[पुस्तकालयों में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-530/98]

III. (क) 1996-97 के वर्ष के लिए इंडियन इंस्ट्रीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैंनेजमेंट, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदनम और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इंस्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) मेम उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालयों में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-529/98]

IV. (क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अधिन 1996-97 के वर्ष के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटक पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालयों में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-782/98]

**I. Report and Accounts (1994-95 and 1995-96) of the Indian Railway Welfare Organisation, Nc Delhi and related papers.**